केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली–110001, फोन 23353503, फैक्स 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

सत्यमेव जयते

याचिका सं.171/टीएल/2022 दिनांक: 2.8.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, द्वितीय तल, नोवस टावर, प्लॉट सं.18, सैक्टर–18, गुरुग्राम, हरियाणा–122015 द्वारा निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बीओओएम) आधार पर "मध्यप्रदेश में राजगढ़ (2500 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली" (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	420 केवी (125 एमवीएआर) बस रिएक्टर के साथ पचोरा एसईजेड पीपी पर 400/220 केवी, 3x500 एमवीए की स्थापना 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी – 3 नंबर 400 केवी आईसीटी बे – 3 नंबर 220 केवी आईसीटी बे – 3 नंबर 400 केवी लाइन बे – 2 नंबर 220 केवी लाइन बे – 6 नंबर (अगर एवं शाजापुर सौर पार्क अंतरसंयोजन के लिए 4 नंबर एवं अन्य आरई परियोजनाओं के लिए 2 नंबर) 125 एमवीएआर, 420 केवी रिएक्टर – 1 नंबर 420 केवी रिएक्टर बे – 1 नंबर 220 केवी बस कप्लर बे – 1 नंबर 220 केवी ट्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे – 1 नंबर भावी प्रावधान: निम्नलिखित के लिए स्थान बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी: 6 नंबर 400 केवी लाइन बे: 8 नंबर 220 केवी लाइन बे: 9 नंबर बे के साथ 420 केवी बस रिएक्टर: 1 नंबर 220 केवी बस सेक्शनलाइजर बे: 2 नंबर (प्रत्येक मेन बस के लिए एक नंबर बे)	18 मास
2.	पचोरा छोर पर प्रत्येक सर्किट पर 400 ओएचएमएस एनजीआर के साथ 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के साथ पचोरा एसईजेड पीपी – भोपाल (स्टरलाइट) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड/एचटीएलएस) (नॉमिनल वोल्टता पर 2100 एमवीए/सीकेटी की न्यूनतम क्षमता के साथ) स्विचेबल लाइन रिएक्टर (पचोरा छोर पर) – 420 केवी, 2x80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर बे (पचोरा पर)–2 नंबर	
3.	पचोरा एसईज़ेड पीपी–भोपाल (स्टरलाइट) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड/एचटीएलएस) (नॉमिनल वोल्टता पर 2100 एमवीए/सीकेटी की न्यूनतम क्षमता के साथ) के लिए भोपाल (स्टरलाइट) पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर	

"नोट:

(i) मैसर्स बीडीटीसीएल (भोपाल धुले ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड), पचोरा एसईजेड पीपी – भोपाल (स्टरलाइट) 400 केवी डी/सी लाइन के समापन हेतु भोपाल (स्टरलाइट) पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

(ii) स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्थान सहित 400 केवी लाइन बे के लिए भावी प्रावधान हेतु स्थान रखा जाएगा।

(iii) योजना का कार्यान्वयन, पचोरा पी.एस. पर एलटीए के अनुदान के बाद किया जाएगा।

(iv) योजना के कार्यान्वयन की अनुसूची, आरई विकासकर्ताओं की अनुसूची या एसपीवी के अंतरण की तारीख के 18 मास, जो भी बाद में हो, से मेल रखेगी।"

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹408.19 मिलियन के निम्नतम समानीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सिफारिश की है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 171/टीएल/2022 में दिनांक 2.8.2022 के आदेश द्वारा ऊपर पैरा 1 में यथा उल्लिखित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

5. राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित किए गए आवेदन की प्रति वेबसाइट www.grrtl.com पर देखी जा सकती है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित की जा सकती है।

6. अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (क) के अनुसरण में एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि यथा पूर्वोक्त, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्ति, यदि कोई हो, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 22.8.2022 तक उपर्युक्त पते पर भेजे जा सकते हैं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा आवेदन पर सम्यक् अनुक्रम में आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति, जो सुझाव या आपत्ति दायर करता है, अपने विवेक से सुनवाई में उपस्थित हो सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह पुरी)
सचिव